

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 4189/2005/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राठी अलायज एण्ड स्टील्स लिमिटेड, अलवर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 20/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 490/उपा.भरत/97-98/सीएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.02.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन अलवर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 एवं राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 12 के तहत पारित आदेश दिनांक 29.03.1994 से सृजित कुल मांग राशि रुपये 60,728/- के सम्बन्ध में पारित आदेश को पुनः जांच कर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 1987-89 (01.07.1987 से 31.03.1989) का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.05.1991 को पारित किया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपटित अधिनियम की धारा 12 के तहत संशोधित आदेश दिनांक 29.03.1994 पारित करते हुए उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.05.1991 में अधिक प्रदत्त सैट ऑफ रुपये 22,660/- को अस्वीकृत किया गया एवं तदनुसार ब्याज रुपये 38069/- भी आरोपित किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2005 द्वारा प्रकरण सशक्त अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पुनः जांच की जाकर आदेश पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. अपीलार्थी-राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा सैट-ऑफ के बिन्दु पर प्रकरण नियमित कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि सैट ऑफ के आधार पर प्रकरण में पुनः जांच की जाकर आदेश पारित किया जावे। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
7. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष